न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 111/12 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. विजय कुमार पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:——— अपीलांट

बनाम

1. मायादेवी पत्नि भरतमल जाति ब्राहमण निवासी खोहरी तह0 बानसूर जिला अलवर ।
2. सुरेश कुमार पुत्र सूरजभान जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:——— असल रेस्पो0

3. तहसीलदार बहैसियत लैंड होल्डर, बानसूर

:——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश सहायक जिलाधीश, बानसूर

दिनांक 17.5.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अनिल कुमार गुप्ता

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री सुबेसिंह यादव

निर्णय

दिनांक 23.9.16

Scanned by CamScanner

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक जिलाधीश, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 247/2006 उनवान विजय कुमार बनाम माया देवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 17.5.2012 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार करते हुये वादी अपीलांट का वाद खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने तहत न्यायालय में एक वाद पत्र पेश किया था । दौराने विचारण वाद पत्र अप्रार्थी प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया कि वादी ने वाद पत्र इकरारनामा के आधार पर पेश किया है । इकरारनामा के आधार पर टाईटल सिद्ध करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । अतः निवेदन है कि प्रा0 पत्र स्वीकार कर वाद क्षेत्राधिकार में न होने के कारण खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रा0 पत्र स्वीकार कर वाद पत्र क्षेत्राधिकार में न होने के कारण खारिज किया है,जिसकी यह अपील वादी अप्रार्थी अपीलांट ने पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि की खरीद का सौदा प्रतिवादीगण से किया था । साई पेटे के एडवांस भी प्रतिवादीगण को दे दिया गया था और मुझे भूमि का कब्जा भी दे दिया गया था, परन्तु प्रतिवादीगण असल रेस्पो0 ने बाद में बयनामा कराने से इंकार कर दिया था । इसलिये मैंने दावा पेश किया, जिसे तहत न्यायालय ने यह कहते हुये गलत तौर पर खारिज कर दिया कि इकरारनामा के आधार पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी असल रेस्पो0. ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि वाद पत्र किस आधार पर विधि वर्जित है । आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के तहत वाद पत्र तभी खारिज किया गया जा सकता है, जब वाद पत्र विधि वर्जित हो । आर0 आर0 टी0 2013 (2) पेज 1110 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि करार व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद पत्र पेश किया गया है, यह वाद पत्र विधि वर्जित कैसे है, इस हेतु साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया गया है, ना ही आवेदन में उल्लेखित किया गया है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तहत न्यायालय को इस हेतु साक्ष्य अभिलिखित करनी चाहिये कि वाद पत्र विधि वर्जित कैसे है । प्रतिवादी की जो भी आपत्तियां होती हैं, उसे वह अपने जवाब दावा में उठा सकता है । सीधे ही आदेश 7 नियम 11 के प्रा0 पत्र में नहीं उठा सकता, जैसा कि आर0 आर0 टी0 2014 (2) पेज 1263 में अभिनिर्धारित किया गया है । इसी प्रकार क्षेत्राधिकार के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर वाद पत्र खारिज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि आर0 आर0 टी0 2014 (2) पेज 1076 में अभिनिर्धारित किया गया है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने उपरोक्त सभी नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की अनदेखी कर गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि वादी अपीलांट ने तहत न्यायालय में इकरानामा के आधार पर वाद पत्र पेश किया है । इकरारनामा के आधार पर वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । इस प्रकार वादी अपीलांट द्वारा पेश वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है । विधि द्वारा वर्जित होने के कारण विद्वान तहत न्यायालय ने सही तौर पर वाद पत्र खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । आदेश 7 नियम 11 के उप नियम घ में प्रतिपादित किया गया है कि वाद पत्र उस दशा में नामंजूर कर देना चाहिये जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है । चूंकि वादी अप्रार्थी अपीलांट ने वाद पत्र इकरारनामा के आधार पर पेश किया था । इकरारनामा के आधार पर टाईटल निर्धारित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है । इस प्रकार प्रार्थी वादी अपीलांट का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा जो नजीर आर0 आर0 टी0

Scanned by CamScanner

2013 (2) पेज 1110 पेश की गई है, वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है, क्योंकि इस नजीर में मुख्य रिलीफ प्रतिकूल कब्जा के आधार पर चाही गई थी और आनुशांगिक रिलीफ करार के आधार पर चाही गई थी, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य रिलीफ इकरारनामा के आधार पर ही चाही गई है । इसी प्रकार नजीर आर0 आर0 टी0 2014 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1263 के तथ्य भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि इस नजीर में वाद हेतुक प्रकट हुआ है और वाद हेतु प्रकट होने के कारण ही वाद किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं माना गया है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में इकरारनामा के आधार पर रिलीफ चाही गई है, जो राजस्व न्यायालय द्वारा देय नहीं है अर्थात राजस्व न्यायालय में वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है । इसी प्रकार नजीर आर0 आर0 टी0 2014 (2) पेज 1076 के तथ्य भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि इस नजीर के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि नगर विकास न्यास को आवंटित की गई थी । परन्तु जिस समय वाद पत्र पेश किया गया था, उस समय भूमि नगर विकास न्यास को आवंटित नहीं की गई थी और ना ही उस समय उस पर धारा 90 ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नहीं हुई थी अर्थात वाद पत्र पेश करने के समय भी कृ । भूमि ही थी, इस कारण आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू नहीं हुये थे । परन्तु मौजूदा प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है अर्थात वादी ने वाद पत्र में पहले ही अभिकथन ले लिया है कि इकरारनामा के आधार पर उसे खातेदार घोषित किया जावे । इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा अधिकार तय नहीं किये जा सकते । इसके आधार पर अधिकार देने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है । इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधि त्रुटि नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.5.2012 यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner